

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर


क्रमांक: स. 3-2 (04) स्था/एपीओ/अभि/16/पार्ट-II / 631-43 दिनांक:-10.7.2019

आदेश

अभियोजन निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 581-630 दिनांक 27.6.2019 के द्वारा श्री शिवपुरी पुत्र श्री गणेशपुरी, निवासी उस्तों की बारी के बाहर, राजू पब्लिक स्कूल के पास, बीकानेर को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन एस.बी. क्रिमीनल अपील 894/2005 सोहनपुरी व शिवपुरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 5283/2018 शिवपुरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय 15.04.2019 के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा खण्डपीठ में पेश विशेष अपील सीएनआर नं0 RJHC010333092019 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम श्री शिवपुरी के निर्णयाधीन/आदेशाधीन (Subject to the Decision of the Appeal) और माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में भर्ती से संबंधित याचिकाओं के अध्ययन सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनकी पदस्थापना सहायक अभियोजन अधिकारी, न्यायालय सी.जे.(जे.डी.) जे.एम. फलोदी जोधपुर में की गई थी।


राज्य सरकार द्वारा उक्त एस.बी. (सिविल) रिट पिटीशन 5283/2018 शिवपुरी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.4.2019 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की खण्डपीठ में विशेष अपील पेश की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी. स्पेशल अपील रिट नं. 695/2019 राजस्थान राज्य बनाम शिवपुरी में निर्णय दिनांक 4.7.2019 के द्वारा स्वीकार करते हुए, यह आदेश प्रदान किया गया है कि "In the light of the above discussion, the impugned order and directions of the learned Single Judge are hereby set aside; consequently, the respondent's writ petition has to fail. The appeal is allowed; all pending applications are disposed of."

अतः श्री शिवपुरी पुत्र श्री गणेशपुरी, निवासी उस्तों की बारी के बाहर, राजू पब्लिक स्कूल के पास, बीकानेर हाल सहायक अभियोजन अधिकारी, न्यायालय सी.जे.(जे.डी.) जे.एम. फलोदी जोधपुर की नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनकी नियुक्ति/पदस्थापना तुरन्त प्रभाव से निरस्त की जाती है।


(एस. एन. व्यास)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, गृह।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
7. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान, मुख्यालय सहित।
8. सहायक निदेशक अभियोजन, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति संबंधित को अविलम्ब प्रदान करे एवं उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करे।
9. श्री शिवपुरी सहायक अभियोजन अधिकारी, (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
11. निजी पत्रावली / समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय/
12. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।